फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

राधेश्याम बनाम **रामेश्वरलाल**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 115 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2021	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल न0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 231/220 के खसरा न0 98/2 की 7.2720हैक भूमि की रिकार्ड में यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे यदि इस सम्बध में गैरसायलान को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । खाला व रास्ता की भूमि पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 20.10.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर उपखण्ड अधिकारी नोहर	वरिष्ठ राजस्व सहायक
20/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प चक सरदारपुरा में पेश हुई। राजीनामा पेश नही। उभयपक्ष उपस्थित नही। पत्रावली दिनांक 21/01/22 को पेश हो।	
21/1/22	वकील वादी ने निवेदन कर पत्रावली पेश की गई वादी ने निवेदन किया कि वह राजीनामा होने के कारण नही चलाना चाहते पत्रावली खारिज फरमावे। वादी के द्वारा प्रकरण वाद नही चलाने के कारण खारिज फरमाते पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner